


FORM NO. |||

फर्द अहकाम
नियम (26)

जज अदालत.....उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....
कांतिबाई बनाम सरकार.....किस्म मु०.....
37 मिसल न० 2025 (37/2025)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामोल मे जारी हुए
14/8/25	<p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ ,जिसमे प्रार्थीया ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थीया के हिस्से की भूमि में प्रार्थीया का नाम कांतिबाई पुत्री परस्या जाति बैरवा नि० नीमोला नाम दर्ज है। जमांबदी सवत् 2074 से 77 मुताबिक खसरा नबर 1202/379, 1203/709 व 1204/714 में काशतगार का कांति पुत्री परस्या दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संबधित पटवारी भू अभि. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई। अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का नाम कांति बाई पुत्री परस्या के स्थान पर कांति बाई पत्नी परसराम नाम दर्ज किया जावे। आज दिनांक 18/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी इटावा</p>	